फा.सं.15/6/96/सतर्कता/सीवीओ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

सतर्कता

***

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक - 10.08.2016

सेवा में,

1. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई।
2. भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रबंध निदेशक।
3. राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर)।
4. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रशासन एवं कार्मिक प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई।
5. एनएचबी, आईएफसीआई लिमिटेड, आईआईएफसीएल, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, आईडीबीआई बैंक।

विषय : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद हेतु नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य सतर्कता अधिकारी का नियमित पद दिनांक 19.11.2016 को रिक्त होने जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालक निदेशक रैंक के उन अधिकारियों का पता लगायें जो सीवीओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों और संलग्न फॉर्मेट में उनका पूर्ण बायो-डाटा सहित ऐसे अधिकारियों के नाम और उनकी पिछले पांच वर्ष की सत्यापित वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (सभी तरह से पूर्ण) 26.09.2016 को अथवा इससे पहले इस विभाग को भेज दें।

2. मुख्य सतर्कता अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए वेतनमान कार्यपालक निदेशक (अर्थात् डब्ल्यू टीडी) के स्तर के समकक्ष होगा तथा अन्य परिलब्धियां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नीति के अनुरूप होंगी। तथापि, सीवीओ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी को अपना वेतनमान और मूल संगठन में अपने मूल वेतन का 15% प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों के नाम भेजे जायें जिन्हें सेवा से कार्यमुक्त किया जा सके और 19.11.2016 अर्थात् रिक्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार जिनकी सेवाएं कम से कम 3 वर्ष शेष हो और जो सतर्कता की दृष्टि से दोष मुक्त हों।

4. एक बार भेजे जाने के बाद अभ्यर्थी का नाम किसी भी परिस्थिति में वापस लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, उपर्युक्त बैंक में सीवीओ के लिए उम्मीदवारों के नाम भेजते समय आवेदक से यह वचनबद्धता प्राप्त की जाए कि एक बार बैंक में सीवीओ के लिए नामित किए जाने का निर्णय लिये जाने के बाद वे किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारी से अपना नाम वापस नहीं लेंगे और उसकी एक प्रति इस विभाग को भी भेजी जाए। सूचना संलग्न अनुबंध-। और ।। के अनुसार उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,

(मृत्युंजय सिंह)
अवर सचिव-भारत सरकार
दूरभाष सं. : 23748709
ईमेल:usvig-dfs@nic.in

अनुबंध-1

आवेदन प्रपत्र

1	अभ्यार्थी का नाम		
2	जन्म तिथि		
3	आवेदन की अंतिम तिथि को आयु		
4	सेवा निवृत्ति की तिथि		
5	वर्तमान धारित पद		
6	उस संगठन का नाम जहां पर तैनात हैं		
7	वर्तमान वेतन और वेतनमान		
8	शैक्षिक तथा व्यवसायिक योग्यता का विवरण (काल क्रम अनुसार)		
9	नियमित सेवा के वर्षों की संख्या		
10	पिछले दस वर्षों के दौरान अनुभव का विवरण		

क्र.सं.	नियमित आधार पर धारित पद	से तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कार्य का स्वरूप	सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों में अनुभव

11	पूरा पत्राचार पता स्थाई वर्तमान दूरभाष (कार्यालय; निवास स्थान एवं मोबाइल) ईमेल		
12	मैं प्रमाणित करता हूं कि कालम 1-11 में मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं तथा मैं पद के लिए पात्र हूं।		

(अभ्यार्थी का नाम तथा हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान :

प्रमाण पत्र

(नियोजक द्वारा भरा जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... द्वारा दिये गये विवरणों का सत्यापन किया गया है तथा सही पाये गये हैं एवं उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो लम्बित है अथवा न ही विचार किया जा रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यार्थी की सत्यनिष्ठा प्रमाणिक है।

सक्षम अग्रेषण प्राधिकारी का पदनाम,
दूरभाष सं., ईमेल तथा कार्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :